राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प. 3(49)राज–6/2007/25 जयपुर, दिनांकः– 2.8.2007

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत सहखातेदारों द्वारा भूमि का विभाजन कराने पर, राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों द्वारा सिवायचक भूमि का आवंटन करने पर पक्षकारों के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिये जाते है। लेकिन मौके की स्थिति के अनुसार जमाबन्दी एवं खसरा नक्शे में संशोधन नहीं किया जाता, जिससे राजस्व मुकदमें एवं प्रकरण अनावश्यक रूप से बढते है और काश्तकारों को अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

"कानक्लेव ऑन गुड गवर्नेन्स" की राज्य सचिवालय स्थित बैठक दिनांक 18 से 21 दिसम्बर, 2006 को हुई थी, में यह सुझाव दिया गया था कि नामान्तरकरण तस्दीक के साथ–साथ जमाबन्दी व खसरा नक्शे में भी संशोधन किया जाए ताकि मौके एवं राजस्व रिकार्ड में समानता हो।

अतः निर्देश दिये जाते है कि जब भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत सहखातेदारों द्वारा भूमि का विभाजन कराने पर, राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों द्वारा सिवायचक भूमि आवंटन करने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में जब भी खसरा नम्बरों का विभाजन हो तो ऐसी स्थिति में पक्षकारों के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने के साथ–साथ जमाबन्दी एवं खसरा नक्शों में भी विभाग के निर्देशानुसार संशोधन किया जाए ताकि मौके की स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड में समानता हो।

2.8.2007
(के.जी. अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।

2.8.2007
शासन उप सचिव